

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

17/01/2017


10AD 507084

निवाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)



प्रारूप-26

(नियम 4क देखिए)



कानपुर खण्ड स्नातक उम्रो के निवाचन के लिए रिटनिंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत
किया जाने वाला शपथपत्र

स्थान - कानपुर

दिनांक - 17.01.2017

.....
Shil Kumar Singh
शपथकर्ता

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

प्रारूप-26
(नियम 4क देखिए)

कानपुर खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

उप्रोक्त विधान परिषद (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटनिंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-अ

मैं अरुण कुमार पाठक **पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री गिरधर प्रसाद पाठक आयु 42 वर्ष, जो म०स० हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ :-

- (1) मैं एक अभ्यर्थी हूँ जिसे निर्दलीय (**राजनीतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया है/निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ।
(**जो लागू न हो उसे काट दें)
- (2) मेरा नाम 217 महाराजपुर (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम), में क्रम सं. 1323 भाग सं 231 में प्रविष्ट है।
- (3) मेरा/मेरे 9919415470 संपर्क दूरभाष संख्या/संख्याएं हैं/हैं और pathak@806@gmail.com ई-मेल पता (यदि कोई हो) है।
- (4) स्थाई लेखा संख्यांक (ऐन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रासिति :

क्र. सं.	नाम	पी ए एन (स्थायी संख्या)	वह वित्तीय वर्ष जिसके आय-कर विवरणी में लिए अंतिम आय-कर दर्शाई गई कुल आय विवरणी फाइल की गई है (रूपये में)
1.	स्वयं अरुण कुमार पाठक	AIJPP8709N	लागू नहीं
2.	पत्नी अमृता पाठक	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	आश्रित-1 विजय कुमार पाठक	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	आश्रित-2 अनुसम्य पाठक	लागू नहीं	लागू नहीं

- (5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं। - लागू नहीं

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी-

- (1) मेरे विरुद्ध ऐसे लंबित मामले जिसमें न्यायालय ने दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए आरोप विरचित किए हैं निम्नलिखित हैं:-

(क)	सम्बन्धित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण विवरण के साथ मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं	लागू नहीं
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	लागू नहीं
(ग)	न्यायालय का नाम मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं



Amr

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

(घ)	न्यायालय जिसने आरोप विचरित किए हैं	लागू नहीं
(ड.)	तारीख जिस पर आरोप विचरित किए गए	लागू नहीं
(च)	क्या सभी या किसी कार्यवाही पर किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई है।	लागू नहीं

(ii) निम्नलिखित मामले मेरे विरुद्ध लंबित हैं जिसमें न्यायालय ने संज्ञान लिया है इन उपर मद (ते) में लिखित मामलों के अलावाट :- लागू नहीं

(क)	न्यायालय का नाम मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं
(ख)	मामलों का व्यौरा जिनमें न्यायालयों ने संज्ञान लिया है, अधिनियमों की धाराओं और अपराधों का विवरण जिनमें संज्ञान लिया गया	लागू नहीं
(ग)	उपरोक्त आदेशों के विरुद्ध फाइल की गई अपील, पुनरीक्षण के लिए आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हैं), के व्यौरे	लागू नहीं

(6) मुझे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा, (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के कारावास से दंडादिष्ट नहीं किया है।

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया है और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा। - लागू नहीं

निम्नलिखित मामलों में मुझे न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है।

(क)	सम्बन्धित मामलों के अधिनियम (अधिनियम में), धारा (धाराओं) का व्यौरा और अपराधों का वर्णन जिनके लिए सिद्धदोष किया गया	लागू नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	लागू नहीं
(ग)	अधिरोपित दंड	लागू नहीं
(घ)	क्या सिद्धदोष आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हाँ, तो अपील का व्यौरा और उसकी वर्तमान प्राप्तिस्थिति	लागू नहीं

(7) यह कि मैं अपनी पत्नी/पति और आश्रितों की आस्तियों (स्थाई और स्थाई आदि) का व्यौरा यहां नीचे देता हूँ लागू नहीं

क. जंगम संपत्तियों का व्यौरा :-

टिप्पण 1— संयुक्त नाम पर आस्तियों, संयुक्त स्वामित्व के विस्तार को भी उपर्युक्त किया जाना है।

टिप्पण 2— निपेक्ष/विनिधान की दशा में, क्रम सं0, रकम, निक्षेप की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्थान और शाखा के नाम सहित व्यौरा दिया जाना है।

टिप्पण 3— वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों की बाबत स्टाक एक्सचेंज में और असूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखा बहियों के अनुसार बंधपत्र/डिबेंचर का मूल्य।

टिप्पण 4— आश्रित का वही अर्थ है जो जैसा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75 के स्पष्टीकरण (5) में उसका है।


टिप्पण 5— प्रत्येक विनिधान की बाबत सहित रकम व्यौरे पृथक रूप से दिया जाना है।



Mew

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

क्र.सं.	विवरण	स्वयं	पति / पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2
(i)	हाथ में रोकड़	10,000/-	5,000/-	1000/-	1000/-
(ii)	बैंक खातों में निक्षेप के ब्यौरे (एफडीआर, अवधि निक्षेप और बचत खातों सहित अन्य सभी प्रकार के निपेक्ष), वित्तीय संस्थानपों, गैर बैंकिंग, वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों में निक्षेप और ऐसे प्रत्येक निक्षेप की रकम	1. SBI Main Branch 20006030905 Rs. 2,20,000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii)	बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों और कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में विनिधान के ब्यौरे और रकम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	एनएसएस, डाकीय बचत, बीमा पालिसीयों में विनिधान के ब्यौरे और डाक विभाग व बीमा कंपनी के किसी वित्तीय लिखत में विनिधान और रकम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(v)	या फर्म, कंपनी, न्यास आदि किसी व्यक्ति अस्तित्व को दिया गया व्यक्तिगत ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्तियाँ और रकम)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(vi)	मोटरयान/वायुयान/नाव/जहाज (निर्माण, रजिस्ट्रेशन संख्या आदि का ब्यौरा खरीद के वर्ष और रकम)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(vii)	आभूषण, बुलियन और मूल्यवान चीजें (भार और मूल्य के ब्यौरे)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(viii)	कोई अन्य आस्तियाँ जैसे कि दावे का मूल्य/ब्याज	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ix)	सकल कुल मूल्य	2,23,000/-	5,000/-	1000/-	1000/-



Alm


निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

ख. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण-1 संयुक्त नाम पर आस्तियों, संयुक्त स्वामित्व के विस्तार को भी उपदिश्त किया जाना करें।

टिप्पण-2 इस रूपविधान में प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का अलग से उल्लेख होना चाहिए।

क्र. सं.	विवरण	स्वयं	पति / पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2
(i)	कृषि भूमि का/के स्थान, सर्वेक्षण संख्यांक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासती संपत्ति है। (हाँ या नहीं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	गैर कृषि भूमि : स्थान सर्वेक्षण संख्यांक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासती संपत्ति है। (हाँ या नहीं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii)	वणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) —स्थान —सर्वेक्षण संख्यांक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	निर्मित क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासती संपत्ति है। (हाँ या नहीं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं




Alma

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	आवासिक भवन (अपार्टमेंट सहित) स्थान सर्वेक्षण संख्यांक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासती संपत्ति है। (हाँ या नहीं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	अन्य (जैसे संपत्ति में हित)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	उपर (i) से (v) का कुल वर्तमान बाजार मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

- (8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/देयों के व्यौरे नीचे देता हूँ
(टिप्पण : कृपया प्रत्येक मद के सामने बैंक, संस्था, अस्तित्व या व्यष्टि के नाम और रकम के अलग-अलग व्यौरे दे)

क्र. सं.	विवरण	स्वयं	पति / पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) के ऋण या देय, बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम ऋण का प्रकार	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	ऊपर लिखित से भिन्न किसी अन्य व्यष्टि/अस्तित्व के ऋण या देय, नाम, बकाया रकम, ऋण का प्रकार	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

कोई अन्य दायित्व	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
दायित्वों का कुल योग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(ii) सरकार के देय, : सरकारी वास-सुविधा से सम्बन्धित विभाग को देय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
जल प्रदाय से सम्बन्धित विभाग को देय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
विद्युत प्रदाय से सम्बन्धित विभाग को देय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
टेलीफोनों/मोबाइलों की पूर्ति से सम्बन्धित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
विभाग को देय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सरकारी परिवहन से सम्बन्धित विभाग को देय (वायुयानों और हेलीकाप्टरों सहित)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
आयकर देय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
संपत्ति कर देय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सेवा कर देय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
नगरपालिका/संपत्ति कर देय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
बिक्री कर देय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कोई अन्य देय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii) सरकारी के सभी देयों का कुल योग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv) क्या कोई अन्य दायित्व विवाद-ग्रस्त है, यदि है तो अंतर्वलित रकम और उदस प्राधिकारी का उल्लेख करें जिसके समक्ष यह लंबित है	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं वकालत (ख) पत्नी गृहणी

(10) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :-


1. एम०ए०, एल०एल०बी० 2001 डी०सी०ल०, सी०ए०जे०ए०विश्वविद्यालय कानपुर

(प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूरे नाम का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय शिक्षा/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे दे, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम दें और वह वर्ष का ब्यौरा दें जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) में दिए गए ब्यौरे का सार :

1. अभ्यर्थी का नाम	अरुण कुमार पाठक
2. डाक का पूरा पता	मं०न० 17 गांधीग्राम
3. निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	217 महाराजपुर
4. सञ्जनीतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खबां किया है (अन्यथा सनिर्दलीय-लिखें)	सनिर्दलीय



Alm

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

5.	(i) लंबित मामलों की कुल संख्या जहाँ न्यायालय द्वारा दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	लागू नहीं
	(ii) लंबित मामलों की कुली संख्या जहाँ न्यायालय/न्यायालयों ने सज्जान लिया है (ऊपर मद (i) में उल्लिखित मामलों से भिन्न)	लागू नहीं
6.	उन मामलों की संख्या जिनमें दोषसिद्ध और एक वर्ष या अधिक के कारावास से दंडानिष्ट किया गया है इलोक प्रतिनिधित्व अधिकनय, 1951, की धारा 8 के उपधारा उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाय)	लागू नहीं

7	का स्थायी लेखा सं० (पीएएन)	वर्ष जिसमें अंतिम आय-कर विवरणी फाइल की गई है		दर्शाई गई कुल आय	
		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(क) अभ्यर्थी	AIJPP8709N	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ख) पति या पत्नी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ग) आश्रित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(घ) आश्रित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
8	आस्तियां और दायित्व के रूपयों ब्यारे				
क	विवरण	स्वयं	पति / पत्नी	आश्रित-‘1	आश्रित-2
ज	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ख	स्थावर आस्तियां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
i.	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ii.	क्रय के पश्चात स्थावर संपत्ति के विकास/निर्माण की लागत (यदि लाग हो)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
iii.	(क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	(ख) विरासती आस्तियों (कुल मूल्य) की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



Alm

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

9	दायित्व	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
I.	सरकार के देय (कुल)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
II.	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
10	दायित्व जो विवादग्रस्त है	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(i)	सरकार के देय (कुल)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11	उच्चतम शैक्षिक अर्हता:	1. एम०ए०, एल०एल०बी० 2001 डी०सी०ल०, सी०एस०जे०एम०विश्वविद्यालय कानपुर (प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रारूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम दें और वह वर्ष का व्यौरा दें जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था)			

सत्यापन


मैं ऊपर नामित अभिसाक्षी यह सत्यापित और घोषित करता हूँ कि इस शपथ पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वत्र ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्पर्य बात छिपाई नहीं गई है। मैं यह भी घोषित करता हूँ कि :-

- (क) पूर्वोक्त भाग अ की मद 5 और 6 और भाग आ में उल्लिखित से भिन्न किसी मामले में मैं दोषसिद्ध नहीं हुआ हूँ या कोई मामला मेरे विरुद्ध लंबित नहीं है,
- (ख) पूर्वोक्त भाग अ की मद 7 और मद 8 तथा भाग आ के मद 8, मद 9 और मद 10 में उल्लिखित से भिन्न मेरी, मेरे पति/मेरी पत्नी या मेरे, आक्रितों की कोई भी अस्ति या दायित्व नहीं है।

कानपुर स्थान पर आज तारीख 17/01/2017 को सत्यापित किया गया।

Sushil Kumar Singh

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर



Identified By

I certify that this document was presented
before me today by sri _____
who is identified by sri _____
Verified per identification
Hence Attested

*Armen Kumar Pathak
Many Kumar Pathak*

Sushil Kumar Singh Advocate
Central Govt. Notary
Kanpur Court (U.P.)

17/01/2017

शपथ या प्रतिज्ञान का प्ररूप

[भारत के संविधान का अनुच्छेद 173 (क)]

मैं अपना नाम लिखता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर और
बड़े अक्षर में नाम

श्री/ श्रीकृति शुभा पाटेल द्वारा मेरे समक्ष वर्ष 2017 के 01 माह
के 17 दिवस को गुरुवार-मार्गशीर्ष, 2017, काशीपुर
से प्रतिज्ञान किया गया।

प्राधिकर्ता व्यक्ति के हस्ताक्षर
का नाम अपना लाभ लेवाले हैं
मामण्डनाम और मुहर।